# उल्हासनगर महानगरपालिका
## ULHASNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
मालमत्ता कर विभाग

Head Office Ground Floor, Ulhasnagar 421-003 dist. Thane, Maharashtra

### (मिळकत कर आकारणी विशेष नोटीस)

(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम (१३, ११९, १५०(अ), १५३(अ), १५९, ११५(१)(अ) तसेच
शिस्तभंगाचे अनुषंगी ४ चे प्रकरण ८ (कराधान नियमावलीचे नियम ५ (२) व नियम ५(३) अन्वये)

जा. क. उमपा/कर-निधाशु-०४/८८ | २१ | दि. 26/5/2023 23/05/2023

प्रति,
KAMAL CHANDANMAL NAGADEV
...

मालमत्ता क. 48CI010486200 जुना मालमत्ता क. UPIC. 1854

आपणास कळविण्यात येते की, युनिट क्र. 7 मधील वाई क्र. 48 येथील BK-1686, ROOM NO.11, SECTION-25, NEAR VENUS CHOWK, BEHIND MASTER WINES SHOP, ULHASNAGAR4 याठिकाणी बांधकामात बदल निदर्शनास आले असून त्याअनुषंगाने दि. **17/05/2022 To 31/03/2023** या मुदतीत कर आकारणी करणेसाठी मालमत्तेचे वार्षिक करयोग्य मूल्य **8695** निश्चित केले आहे. सदर करयोग्य मूल्य व त्यानुसार कर नमूद

| बांधकाम प्रकार | वापराचा प्रकार | चटई क्षेत्रफळ | करनिर्धारण वर्ष | करयोग्य मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| RCC | Resi | 245.27 | 01/04/2022 | 3867 |
| RCC | Resi | 63.08 | 01/04/2022 | 995 |
| RCC | Resi | 35.76 | 01/04/2022 | 0 |
| RCC | Resi | 44.60 | 01/04/2022 | 352 |
| AC-Sheet | Resi | 366.31 | 01/04/2022 | 3481 |
| | | 755.02 | | 8695 |

कराचे तपशील

| अ. क्र. | करांचे प्रकार | करांचे दर | एकूण रक्कम |
|---|---|---|---|
| (१) | सर्व साधारण कर | 28% | 2435 |
| (२) | महाराष्ट्र शिक्षण कर | 5% | 435 |
| (३) | मलप्रवाह कर | 7% | 609 |
| (४) | पथ कर | 8% | 696 |
| (५) | वृक्ष कर | 0.5% | 43 |
| (६) | पाणीपुरवठा लाभ कर | 5% | 435 |
| (७) | मलप्रवाह सुविधा लाभ कर | 3% | 261 |
| (८) | मालकीचे शिक्षण कर | Residential - 6% Non-Residential - 0% | 522 |
| (९) | मालकीचे शिक्षण इमारत कर | | 0 |
| (१०) | मोठ्या विहिरी सांडपाणी कर | NA | 0 |
| (११) | पाणी पट्टी (प्रति महिना) | 300 per month | 3600 |
| (१२) | विशेषकरून सफाई कर | | 0 |
| (१३) | अग्निशमन सेवा कर | 2% | 174 |
| (१४) | उपयोगकर्ता शुल्क | | 695 |
| (१५) | अनाधिकृत बांधकाम शास्ती | | 0 |
| | | | 9905 |

वरील कर आकारणी बाबतची तपशीलवार माहिती कार्यालयीन कामाचे दिवशी मुख्य कार्यालयातील कर वसुली विभागात मिळेलतरी या कर आकारणी संबंधी तुमची काही तक्रार असल्यास ही नोटीस मिळाल्यापासून २१ दिवसाचे आत उप-आयुक्त (कर), महानगरपालिकाकार्यालय, उल्हासनगर यांचेकडे योग्य त्या कारणास्तव व पुराव्यासह लेखी स्वरुपात दाखल करावी. मुदतीत हरकत न घेतल्यास वरील प्रमाणे निश्चित केलेले करयोग्य मूल्य व कर आकारणी कायम करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

तसेच जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद उपस्थित झाल्यास त्याचे निराकरण आपणास करावे लागेल.

K.C. Adyal
9822431383

उप-आयुक्त (कर)
उल्हासनगर महानगरपालिका

(अनिधकृत बांधकामास कर आकारणी केल्यास अथवा कर भरल्याने बांधकाम अधिकृत होत नाही. कर आकारणी अथवा कर भरल्याने कोर्टातील कामकाजास व निकालावर कार्यवाही करण्यास बाधा येणार नाही याची नोंद घ्यावी.)

Scanned with CamScanner